संख्याः1097 / ई–1 / तेरह–2023–922 / 2023 (1259429)टी.सी.

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ.प्र., प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2023

विषयः–समेकित विभागीय कार्यवाही में दिशा–निर्देश प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–546 / पी.एस. / विविध / वि.का. / 2021, दिनॉक 23–05–2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा समेकित प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग के समग्र प्रकृति के प्रकरणों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2546 / ई–1 / तेरह–2019, दिनॉक 23–10–2019 निर्गत किया गया है। समेकित प्रकरणों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः–

(1) आबकारी विभाग में घटित होने वाले गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक होता है। कतिपय मामलों में अन्तर्ग्रस्त अपचारी अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जॉच अलग–अलग अधिकारियों द्वारा करायी जाती है। विभाग में घटित गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध एक समग्र (Composite) विभागीय कार्यवाही एक साथ की जानी होगी तथा प्रकरण की जॉच हेतु एक ही जॉच अधिकारी नामित होगा।

(2) उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत भविष्य में घटित होने वाले गम्भीर प्रकृति के प्रकरणों में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों / कर्मचारियों इत्यादि के विरूद्ध एक समग्र (Composite) विभागीय कार्यवाही की जाय तथा अपचारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक ही जॉच अधिकारी नामित किया जाय। चूँकि आबकारी विभाग में अलग–अलग पद हेतु अलग–अलग नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित हैं तथा यह सम्भव है कि वरिष्ठ अधिकारी के प्रकरण में नामित जॉच अधिकारी

अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी से समकक्ष अथवा वरिष्ठ हों, अतः ऐसी स्थिति में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए जॉच अधिकारी शासन से नामित करते हुए जॉच अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित कर दिया जाय। जिसके उपरान्त संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय कार्यवाही में शासन के आदेश के कम में जॉच अधिकारी को सूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही का आदेश निर्गत करेंगे तथा ऐसे प्रकरणों में जॉच अधिकारी द्वारा समस्त आरोपित अधिकारियों/कर्मचारियों की जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके उपरान्त कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा आबकारी आयुक्त के माध्यम से संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगी। समेकित प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी को जॉच अधिकारी नहीं बनाया जाय।

(3) ऐसे समेकित प्रकरण जिनमें पूर्व में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के विभागीय कार्यवाही में अलग-अलग जॉच अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, उन प्रकरणों में वरिष्ठतम अधिकारी की जॉच आख्या प्राप्त होने के पश्चात तथा दण्डन अधिकारी द्वारा दण्ड का विनिश्चय किये जाने के पश्चात कनिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी के दण्ड के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी तदनुसार निर्णय लेंगे। जॉच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने के पश्चात शासन द्वारा विनिश्चित दण्ड की प्रति सहमति हेतु लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित करने के साथ ही उसकी प्रति प्रभावी अनुश्रवण हेतु आबकारी आयुक्त को भी प्रेषित की जाय। समग्र प्रकृति के प्रकरणों में यदि कोई प्रकरण मा. न्यायालय के आदेश से आच्छादित हो अथवा अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो रही हो, अथवा लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त होने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थों के दण्ड के सम्बन्ध में दण्डन अधिकारी लोक सेवा आयोग को प्रेषित संस्तुति के आलोक में गुण-दोष के आधार पर निर्णय कर सकता है।

(4) उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने तथा दण्ड देने की प्रकिया, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 (यथा संशोधित) के माध्यम से निर्धारित की गयी है। इस नियमावली की व्यवस्था के अनुपालन हेतु विभागीय कार्यवाही के मामलों का नियमानुसार निस्तारण हेतु कार्मिक अनुभाग-1 से शासनादेश संख्याः 1/2015/13/9/98/का-1-2015, दिनॉक 22-04-2015 एवं शासनादेश संख्याः 08/2022/725/सैंतालिस/का-1-2022/13(2)/2022, दिनॉक 19-07-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** निर्गत किये गये हैं।

(5) उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–3 के अनुसार शास्तियॉ दो प्रकार की हैं। लघु शास्तियॉ एवं दीर्घ शास्तियॉ। लघु शास्तियॉ अधिरोपित करने के लिए प्रकिया का निर्धारण उक्त नियमावली के नियम–10 में प्राविधानित किया गया है। उपरोक्त नियमावली के नियम–2(घ) में "विभागीय जॉच" को परिभाषित किया गया है। "विभागीय जॉच" का तात्पर्य सन्दर्भित नियमावली के नियम–7 के अधीन की गयी जॉच से है। संबंधित कार्मिक के विरूद्ध लगाये जाने वाले आरोपों में जहॉ नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोप साबित होने पर संबंधित कार्मिक को दीर्घ शास्तियॉ दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा, अपितु केवल लघु शास्तियॉ हीं पर्याप्त है, ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम–7 में उल्लिखित प्रकिया का पालन नहीं किया जायेगा, बल्कि नियमावली के नियम–10 की प्रकिया का पालन किया जायेगा। नियम–10 की प्रकिया एक सूक्ष्म प्रकिया है तथा स्वतः स्पष्ट है। परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संबंधित कार्मिक के विरूद्ध आरोप साबित होने पर दीर्घ शास्ति/शास्तियॉ भी अधिरोपित की जा सकती है, तो नियमावली के नियम–7 में विहित प्रकिया का पालन किया जायेगा।

(6) शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि आबकारी विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक जॉच संस्थित करने की प्रकिया तथा जॉच अधिकारी एवं नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशें की व्यवस्थाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे जॉच आख्या एवं निर्गत दण्डादेश में कतिपय त्रुटियॉ उत्पन्न हो जाती है और जॉच की कार्यवाही दूषित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त त्रुटियों को आधार बनाकर मा. न्यायालय में चुनौती दिये जाने की दशा में मा. न्यायालय द्वारा दण्डादेश को निरस्त कर दिया जाता है तथा अधिकांश प्रकरणों में पुनः जॉच के आदेश दिये जाते हैं जिसके कारण दण्डादेश निरस्त कर पुनः जॉच करायी जाती है। इस प्रकिया में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा अनुशासनिक जॉच के प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होती है।

(7) उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 22 अप्रैल, 2015 में विभागीय जॉच के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक 19–07–2022 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)

नियमावली, 1999 के अधीन सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय ध्यान में रखे जाने हेतु मुख्य बातों, जिसका अनुपालन आवश्यक है (Do's) तथा जिनका अनुपालन वर्जित है (Don'ts) का उल्लेख किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग में कार्यरत सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय जॉच की प्रकिया में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 1097 (1)/ई-1/तेरह-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप आबकारी आयुक्त (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी), प्रभार, उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

संख्या-1/2015/13/9/98/का-1-2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल,2015

विषय :-विभागीय कार्यवाही के मामलों का नियमानुसार निस्तारण।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा दण्ड देने की प्रक्रिया का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के द्वारा किया गया है। विभागीय कार्यवाही के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-7/8/1977-कार्मिक-1, दिनांक 30.07.1977, शासनादेश संख्या-13/13/92-का-1/1993, दिनांक 10.02.1993 तथा शासनादेश संख्या-770/का-1-2011-13(1)2011, दिनांक 23.09.2011 निर्गत किये गये हैं।

2- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-3 के अनुसार शास्तियाँ दो प्रकार की हैं। लघु शास्तियाँ एवं दीर्घ शास्तियाँ । लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण उक्त नियमावली के नियम-10 में प्राविधानित किया गया है। उपरोक्त नियमावली के नियम-2(घ) में "विभागीय जाँच" को परिभाषित किया गया है। "विभागीय जाँच" का तात्पर्य संदर्भित नियमावली के नियम-7 के अधीन की गयी जाँच से है। संबंधित कार्मिक के विरुद्ध लगाये जाने वाले आरोपों में जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि आरोप साबित होने पर संबंधित कार्मिक को दीर्घ शास्ति दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा, अपितु केवल लघु शास्ति ही पर्याप्त है, ऐसी स्थिति में नियमावली के नियम-7 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जायेगा, बल्कि नियमावली के नियम-10 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। नियम-10 की प्रक्रिया एक सूक्ष्म प्रक्रिया है तथा स्वत: स्पष्ट है। परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आरोप साबित होने पर दीर्घ शास्ति/शास्तियाँ भी अधिरोपित की जा सकती हैं, तो नियमावली के नियम-7 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

3- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उपर्युक्त नियमावली में विहित प्राविधानों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस तथ्य का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणित प्रति वेब साइट http://gazette.up.nic.in से डाउनलोड की जा सकती है ।

रिट याचिका संख्या-1314(एस0बी0)/2011 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम् आशीष निरंजन व अन्य एवं रिट याचिका संख्या-25240/2014 कप्तान सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांक 22.07.2011 एवं 14.05.2014 में भी लिया गया है।

4- उपर्युक्त नियमावली तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए एवं नियम-7 के तहत प्रारम्भ विभागीय जाँच के मामलों का शीघ्रता से निस्तारण विषयक उपरोक्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्नलिखित निर्णय/प्रक्रिया से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) किसी कार्मिक के विरुद्ध की जाने वाली जाँच हेतु जाँच अधिकारी पदनाम के आधार पर नियुक्त किया जाय, ताकि जाँच अधिकारी के स्थानान्तरण/प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति आदि की दशा में पुनः जाँच अधिकारी की नियुक्ति की औपचारिकता में लगने वाले समय के कारण सम्भावित विलम्ब व श्रम से बचा जा सके।

जाँच से संबंधित स्थान पर तैनात अधिकारी को ही सामान्यतया जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाय और यदि यह सम्भव न हो तो उस स्थान के निकटतम् स्थान में नियुक्त अधिकारी को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाय, ताकि जाँच अधिकारी को जाँच के स्थान पर आने-जाने में कठिनाई न हो।

(2) आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाय, जिसमें समस्त आरोप संक्षेप में अभिलिखित किये जायें। उल्लिखित आरोपों में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।

(3) आरोप पत्र के साथ प्रासंगिक अभिलेख/साक्ष्य भी अपचारी कार्मिक को उपलब्ध कराया जाय।

(4) यदि आरोप पत्र के साथ अभिलेखों/साक्ष्यों की प्रतियां देना युक्तिसंगत कारणों से सम्भव न हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में अपचारी कार्मिक को अभिलेखों के निरीक्षण का अवसर प्रदान किया जाय। इसके लिए जाँच अधिकारी तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा तथा अभिलेखों को देखने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा।

अपचारी कार्मिक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जायेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में एक माह का और समय दिये जाने पर विचार कर लिया जाय, परन्तु किसी भी दशा में दो माह से अधिक समय न दिया जाय। अपचारी कार्मिक के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अपचारी सरकारी सेवक को प्रशासकीय कार्यों में इस सीमा तक न लगाये रखें कि उसे यह कहने का मौका मिले कि वह अपने प्रशासकीय/शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण समय से उत्तर नहीं दे सका। इस हेतु विभागीय कार्यवाही में आरोप पत्र देते समय ही नियंत्रक अधिकारी को यह निर्देश दे दिये जायें कि वे अपचारी सरकारी सेवक से निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करायें और इसके लिए उसे निर्धारित अवधि के भीतर समुचित समय अवश्य उपलब्ध करायें। यदि जाँच, पूर्व नियुक्ति के स्थान से सम्बन्धित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहाँ उसे अभिलेख आदि देखने हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(5) आरोपित सरकारी सेवक से जवाब प्राप्त होने के पश्चात् जाँच अधिकारी जाँच की कार्यवाही हेतु तिथि, समय तथा स्थान निर्धारित करेगा। जाँच अधिकारी द्वारा आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे, जिसमें संबंधित व्यक्तियों/गवाहों से मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य सम्मिलित होंगे।

(6) मौखिक या लिखित साक्ष्य लेने के समय जाँच अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक को गवाहों से प्रतिपरीक्षा (क्रास एग्जामिन) का अवसर दिया जायेगा। जाँच अधिकारी अपचारी कार्मिक को साक्ष्य के अंतर्गत दिये गये अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी देगा।

(7) जाँच में साक्ष्य लेने की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् जाँच अधिकारी अपचारी कार्मिक को अपने बचाव हेतु समय, दिन और स्थान निर्धारित करेगा, जिसमें मौखिक और अभिलेखीय साक्ष्य सम्मिलित होंगे। इसके पश्चात् व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान करेगा। अधिकतम तीन माह के भीतर जाँच पूरी कर ली जाय।

(8) साक्ष्यों (विभागीय तथा अपचारी कर्मचारी दोनों के साक्ष्य) के विश्लेषण के पश्चात् जाँच अधिकारी अपने विवेक और ज्ञान के आधार पर आरोप साबित होते हैं अथवा नहीं साबित होते हैं, के संबंध में अपनी जाँच आख्या (जाँच अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी से भिन्न होने पर) नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(9) नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी जाँच आख्या का परीक्षण करेगा तथा जाँच अधिकारी की आख्या से सहमत होने पर अपचारी कार्मिक को एक कारण बताओ नोटिस, जिसके साथ जाँच आख्या की प्रति भी आवश्यक रूप से लगी हो, निर्गत करेगा तथा अपचारी कार्मिक को नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर देने को कहेगा। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी देगा।

(10) यदि नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी जाँच अधिकारी की आख्या से सहमत नहीं है तब असहमति के संबंध में अपनी प्रस्तावित राय युक्तिसंगत कारणों के आधार पर देगा तथा अपचारी कार्मिक से अपनी प्रस्तावित राय पर दो सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेगा। यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी देगा।

(11) आरोपित सरकारी सेवक का अभ्यावेदन प्राप्त होने या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि बीतने, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् अथवा सुनवाई के पश्चात् अथवा दोनों के पश्चात् जिन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है, वहाँ दो सप्ताह के अन्दर नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी के द्वारा अन्तिम आदेश जारी किया जाय।

जिन मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है, वहाँ दण्डादेश पारित करने के पूर्व प्रकरण लोक सेवा आयोग को परामर्शार्थ संदर्भित किया जाय और उनसे छः सप्ताह के अन्दर परामर्श प्राप्त किया जाय तथा परामर्श प्राप्त होने के पश्चात् दो सप्ताह के भीतर दण्डादेश पारित कर दिया जाय।

(12) जाँच की कार्यवाही में आरोप सिद्ध करने का भार विभाग के ऊपर ही होगा तथा आरोप सिद्ध न होने पर अपचारी कार्मिक को अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी।

1- एक प्रारूपादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस प्रारूपादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://[illegible] से प्राप्त की जा सकती है।

(13) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 (यथासंशोधित) के अनुसार जो राज्यपाल द्वारा दिये जाने वाले निम्नलिखित दण्डों के संबंध में लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा :-

(एक) वेतनवृद्धि रोकना,

(दो) सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वेतन या पेंशन से वसूली,

(तीन) पदावनति,

(चार) सेवा से हटाया जाना,

(पाँच) सेवा से पदच्युत किया जाना,

(छः) पेंशन से सम्बद्ध नियमों के अधीन प्राप्य पेंशन को कम किया जाना या रोकना या प्रत्याहरण:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल द्वारा आज्ञा संविधान के अनुच्छेद-311 के खण्ड (2) के परन्तुक (ग) के अधीन या राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश डिसिप्लनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल), रूल्स, 1947 के अधीन दी जाती है या सत्यनिष्ठा का प्रमाण-पत्र रोके जाने के फलस्वरूप वेतनवृद्धि रोकी जाती है तो आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा :

अपेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी मामले में आयोग ने पहले ही किसी प्रक्रम पर आज्ञा दिये जाने के बारे में परामर्श दे दिया हो और राज्यपाल की राय में उसके बाद, निर्णयार्थ कोई नया महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा न हुआ हो, तो राज्यपाल द्वारा अन्तिम आज्ञा दिये जाने से पहले आयोग से पुन: परामर्श करना आवश्यक न होगा।

(14) किसी विभागीय जांच की कार्यवाही के फलस्वरूप एक से अधिक दण्ड दिये जाने के आदेश पृथक-पृथक निर्गत नहीं किये जायेंगे। एक या एक से अधिक दण्ड दिये जाने की स्थिति में भी दण्डादेश का प्रभाव समेकित रूप से एक ही माना जायेगा।

(15) सेवा से हटाना अथवा सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे। तात्कालिक प्रभाव की तिथि वह होगी जब आदेश संबंधित कार्मिक को संसूचित कर दिया जाय। संसूचित किये जाने की विधि यथास्थिति, निम्नवत् होगी :-

(क) आदेश व्यक्तिगत रूप से सरकारी सेवक को प्राप्त करा दिया जाय।

(ख) उक्त (क) के अनुसार संभव न होने पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कार्यालय अभिलेखों में उल्लिखित पते पर तामील कर दी जाय। तामीली की तिथि वह होगी जिस तिथि को आदेश तामीली के लिए डाक के हवाले कर दिया जाय और सक्षम अधिकारी को उस आदेश में कोई परिवर्तन करने का अधिकार न रह जाय।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के अनुसार भी तामीली संभव न होने पर आदेश को व्यापक परिचालन वाले किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा ।

(16) विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही पृथक-पृथक अथवा साथ-साथ की जा सकती है। इस सम्बंध में आपराधिक आरोप की प्रकृति एवं अन्य सुसंगत तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त दण्डन प्राधिकारी द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(17) यदि किसी अनियमितता/आरोप के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् दण्ड देकर अथवा बिना दण्ड दिये एक बार मामला अन्तिम रूप से समाप्त हो गया है तो ठीक उसी अनियमितता या आरोप के आधार पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध पुनः दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

(18) फौजदारी (क्रिमिनल) मामले में यदि किसी सरकारी सेवक को क्रिमिनल चार्ज के कारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्ड के आधार पर सेवा से पदच्युत या हटाया जाता है तो उस कार्यवाही को करने से पूर्व "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी जाँच की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी सरकारी सेवक को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक आरोप (क्रिमिनल चार्ज) के आधार पर दण्डित कर दिया जाता है तथा सम्बन्धित कर्मचारी ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर दी है तो अपील के फैसले की प्रतीक्षा किये बिना या अपील दायर न होने की दशा में अपील दायर किये जाने की अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा किये बिना संबंधित सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत (डिसमिस) अथवा हटाया (रिमूव) जा सकता है। यदि अपील में सरकारी सेवक दोषमुक्त हो जाता है तो अपील के निर्णय के पहले उसके विरुद्ध सेवा से पदच्युत अथवा हटाये जाने की जो कार्यवाही की गयी है वह अवैध होगी।

(19) यदि विभागीय जाँच की कार्यवाही के लम्बित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाता है तो लम्बित जाँच को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत पेंशन से कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है, परन्तु सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है और न ही उक्त दण्ड के उद्देश्य से कार्यवाही प्रारम्भ की/जारी रखी जा सकती है।

(20) यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात् कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते कि जिस घटना के सम्बंध में जाँच प्रारम्भ की जाय, जाँच प्रारम्भ करने की तिथि से उस घटना को चार वर्ष से अधिक समय न बीत चुका हो।

(21) सरकारी धन का गबन या दुर्विनियोजन आदि होने पर दोषी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में शासकीय धन की क्षति की सम्पूर्ण वसूली किये जाने हेतु प्रथम चरण में ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्पूर्ण धन की क्षति की वसूली सम्भव है अथवा नहीं। यदि यह सम्भव न हो तो तत्परता से सक्षम न्यायालय के माध्यम से उस सरकारी सेवक से सिविल लायबिलिटी के रूप में उत्पन्न हानि की धनराशि वसूल करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(22) जाँच अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 तथा उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार जाँच न किये जाने की दशा में इसे अपने शासकीय अधिकारों के प्रति उदासीनता मानते हुए कदाचरण के रूप में देखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट [illegible] से सत्यापित की जा सकती है।

(23) अन्यथा स्थिति में दण्ड दिये जाने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी जाँच के संबंध में उपरोक्तानुसार वर्णित व्यवस्था का पालन किये जाने की स्थिति का संज्ञान लेगा तथा उसके द्वारा इस संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरती जानी चाहिए।

उपरोक्त समय-सारणी सुविधा के लिए निर्धारित की गयी है। अतः प्रत्येक मामले में उक्त समय-सारणी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि किसी मामले में उपरोक्त समय-सारणी का पालन सम्भव नहीं है तो ऐसे कारणों का उल्लेख सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किन्हीं कारणों से उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पाता है तो इससे अन्यथा कार्मिक किसी अनुतोष का हकदार नहीं होगा।

5- कृपया शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने/कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक रंजन

मुख्य सचिव ।

संख्या-1/2015/13/9/98(1)/का-1-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

राजीव कुमार

प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://www.up.nic.in/up_rc.as से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-08/2022/725/सैंतालिस/का-1-2022/13(2)/2022

प्रेषक,

डॉ देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 19 जुलाई, 2022**

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999(यथा संशोधित) के आलोक में विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार निस्तारण किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने तथा दण्ड देने की प्रक्रिया, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999(यथा संशोधित) के माध्यम से निर्धारित की गयी है। इस नियमावली की व्यवस्था के अनुपालन हेतु समय-समय पर विस्तृत दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए है, किन्तु इसके बावजूद भी कतिपय अवसरों पर यह पाया गया है कि संबंधित जॉच अधिकारियों एवं नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उक्त नियमावली में वर्णित प्रक्रिया एवं रीति(Procedure and method) का सम्यक अनुपालन न किए जाने के कारण विभागीय जॉच एवं तदोपरांत लिए गए निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के तथ्य शासन के संज्ञान में आये है।

2- उपर्युक्त के दृष्टिगत विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेशों आदि के क्रम में प्रक्रिया/व्यवस्था जिसका अनुपालन आवश्यक है(Do's) एवं निषेधात्मक निर्देश(Don'ts) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का निदेश हुआ है :-

(1) अनुशासनिक जॉच संस्थित करने की प्रक्रिया/जॉच अधिकारी एवं नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारी के स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999(यथा संशोधित) एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थाओं का अनुपालन (In True Spirit) सुनिश्चित किया जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) जॉच अधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान संलग्न Do's एवं Don'ts को अवश्य संज्ञान में लिया जाए।

(3) जिन अधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया हो, उन्हे उक्त प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य रूप से अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपरोक्त व्यवस्था का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
डॉ देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अधीन सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते समय ध्यान में रखे जाने हेतु मुख्य बातें:-

<u>जिसका अनुपालन आवश्यक है (Do's)-</u>

1- जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि संबंधित कार्मिक के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दीर्घ शास्ति/शास्तियां भी अधिरोपित की जा सकती है, तो नियमावली के नियम-7 में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

2- किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन तभी किया जाना चाहिए जब सरकारी सेवक के विरूद्ध अभिकथन (Allegations) इतने गम्भीर हो कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ दण्ड का समुचित आधार हो सकता है।

3- सामान्यतया अपचारी अधिकारी से दो स्तर ऊपर का जॉच अधिकारी होना चाहिए और जांच से सम्बंधित स्थान पर तैनात अधिकारी को पदनाम से जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए ।

4- आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाय, जिसमें समस्त आरोप स्पष्ट एवं सक्षेप में अभिलिखित हो। आरोपो के समर्थन में ऐसे साक्ष्य दिए जाए जो वास्तविक रूप से आरोपो का समर्थन करते हो।

5- अपचारी कार्मिक द्वारा यदि अभिलेखों के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती हो तो उसे निरीक्षण का अवसर अवश्य प्रदान किया जाय।

6- अपचारी कार्मिक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा जाय।

7- यदि जांच, पूर्व नियुक्ति के स्थान से संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाय, जहां उसे अभिलेख आदि देखने है।

8- जांच अधिकारी अपचारी कार्मिक को साक्ष्य के अन्तर्गत दिये गये अभिलेखों की स्वीकार्यता के संबंध में आपति प्रकट करने का अवसर भी देगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- आरोपित सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना चाहिए। यदि आरोपित सरकारी सेवक आरोपो से इन्कार करता है, वहाँ जॉच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षियों (Witnesses) को प्रतिपरीक्षण(Cross-Examination) हेतु बुला सकता है। जॉच अधिकारी उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जॉच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मागेंगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था।

प्रतिबंध यह है कि जॉच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप से अभिलिखित किए जाएगें, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकेगा।

10- जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गवाहों के बयान आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष तथा विधिवत शपथ दिलवाने के उपरान्त लिया जाना चाहिए।

11- जॉच अधिकारी संपूर्ण जॉच की कार्यवाही में कृत कार्यवाहियों का आदेश पत्रक (Order Sheet) तैयार करेगें जिस पर यथासमय आरोपित अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के हस्ताक्षर कराएगें। जॉच आख्या प्रस्तुत करते समय जॉच आख्या के साथ उक्त आदेश पत्रक को संलग्नक के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित करेगें।

12- यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी की आख्या के निष्कर्षों से असहमत है तो असहमति के संबंध में अपने निष्कर्षो को सकारण अभिलिखित करेगें, तथा अपचारी कार्मिक से अपने अभिलिखित निष्कर्ष पर 02 सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेगें।

13- यदि नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं तो अपचारी कार्मिक के वित्तीय उपाशय वाले सभी दण्डों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए तथा लोक सेवा आयोग को अपचारी कर्मचारी के समस्त अभिलेख निदर्श प्रपत्र के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- किसी विभागीय जांच की कार्यवाही के फलस्वरूप नियमावली में उल्लिखित एक से अधिक दण्ड दिये जाने का निर्णय लिए जाने पर दण्डादेश पृथक-पृथक निर्गत नहीं किये जायेगे। दण्डादेश सदैव सकारण एवं स्वमुखरित होने चाहिए।

15- सेवा से हटाना अथवा सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगे।

16- विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले की कार्यवाही पृथक-पृथक की जा सकती है।

17- यदि विभागीय जांच की कार्यवाही के लम्बित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाता है तो लम्बित जांच को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत पैंशन की कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है। उक्त आशय का औपचारिक निर्णय लेते हुए तदनुसार आदेश भी निर्गत कर दिए जाने चाहिए |

18- यदि सेवानिवृति के पश्चात् कोई तथ्य सामने आये तो सेवानिवृति के पश्चात् भी सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है, बशर्ते जिस घटना के संबंध में जांच प्रारम्भ की जाय, जांच प्रारम्भ करने की तिथि को उस घटना को 04 वर्ष से अधिक समय न बीत चुका हो।

19- एक घटना से संबंधित सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों की जांच एक ही अधिकारी से करायी जानी चाहिए। ऐसा जाँच अधिकारी प्रकरण में अंतर्ग्रस्त कार्मिकों में उच्चतम पद धारक के अनुसार नियुक्त किया जायेगा |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निषेधात्मक निर्देश (Don'ts)

1- सामान्यतया अपचारी कार्मिक को अपना स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु 02 माह से अधिक का समय न दिया जाय। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त समय सीमा में युक्ति-युक्त (Reasonable) वृद्धि की जा सकती है।

2- जांच अधिकारी को जांच आख्या में प्रस्तावित दण्ड के विषय में कोई मंतव्य अथवा संस्तुति अंकित नहीं करनी चाहिए।

3- वेतन वृद्धि को संचयी या स्थायी प्रभाव से रोके जाने की दशा में दण्ड के प्रभावी रहने की अवधि का अंकन नहीं किया जायेगा।

4- चेतावनी नियम-3 में उल्लिखित शास्तियों में शामिल नहीं है, अत: चेतावनी देते हुए विभागीय जांच (नियम-7), या नियम-10 के प्रकरण समाप्त किया जाना नियम संगत नहीं है।

5- यदि किसी अनियमितता/आरोप के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात् दण्ड देकर अथवा बिना दण्ड दिये एक बार मामला अंतिम रूप् से समाप्त हो गया है तो ठीक उसी अनियमितता या आरोप के आधार पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध पुन: दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

6- आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाएगा। किन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो तो वहाँ आरोप पत्र संबंधित विभाग के यथा स्थिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अथवा सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।

7- सतर्कता विभाग की खुली या गोपनीय जांच, जो प्राथमिक जांच है, के परिणाम आने पर पुन: वैभागिक स्तर पर प्राथमिक जांच नहीं की जानी चाहिए बल्कि सीधे औपचारिक जांच, यदि आवश्यक हो, प्रारम्भ की जानी चाहिए।

8- आरोप पत्र में सतर्कता जांच का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- यदि मामला जांच हेतु प्रशासनाधिकरण/ सतर्कता अधिष्ठान/अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो तो वैभागिक स्तर पर औपचारिक जांच नहीं की जानी चाहिए और यदि वैभागिक स्तर पर जांच चल रही हो तो रोक देनी चाहिए तथा प्रशासनाधिकरण की अन्तिम जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए।

10- आरोपित सरकारी सेवक को दण्डादेश जारी करने के निमित्त शो-काज नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

11- न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के आधार पर यदि दण्ड दिया जाना हो तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकारी सेवक द्वारा अपील किये जाने की प्रतीक्षा तथा यदि अपील की जा चुकी हो तो उसके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए बल्कि ट्रायल (प्राथमिक) कोर्ट द्वारा की गई दोष सिद्ध के आधार पर समुचित दण्डादेश पारित कर देना चाहिए |

12- सेवा से पदच्युत करना और सेवा से हटाने का दण्ड आरोपित सरकारी सेवक के वास्तविक नियुक्ति अधिकारी से नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं दिया जा सकता |

13- यदि दण्डादेश राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किये जाने हो तो लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है, चाहे आरोपित सरकारी सेवक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के परामर्श से/उनके द्वारा आयोजित चयन के आधार पर की गई हो |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।